820
04/10/21

भीम

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांकः–एफ3(2)( )बजट/मुख्य/सान्याअवि/2020–21/ 1839 जयपुर दिनांक 1/10/2021

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग,
राजस्थान।

विषयः– बजट प्रावधान/अनुपूरक अनुदान स्वीकृत कराने में सतर्कता रखने एवं वित्तीय वर्ष में उसका उपयोग करने एवं बचतों को समय पर समर्पित किये जाने के सम्बंध में।

प्रसंगः– वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) के परिपत्र कमांक प.7(4) वित्त –1 (1)/आ.व्यय/2021 जयपुर, दिनांक 29 सितंबर 2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) द्वारा बजट प्रावधान/अनुपूरक अनुदान स्वीकृत कराने में सर्तकता रखने, वित्तीय वर्ष में उसका उपयोग करने एवं बचतों को समय पर समर्पित किये जाने तथा बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना किये जाने के सम्बंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है(प्रति सलंग्न है)। अतः प्रासंगिक परिपत्र में जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ3(2)( )बजट/मुख्य/सान्याअवि/2020–21/ 1840–45 जयपुर दिनांकः 1/10/2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. अतिरिक्त निदेशक–(सर्तकता एवं प्रशासन)।
2. अतिरिक्त निदेशक पेंशन/सामाजिक सुरक्षा/छात्रवृत्ति/छात्रावास/एस.सी.एस.पी/देवनारायण/योजना/अत्याचार निवारण/राईस।
3. उपनिदेशक योजना/पिछडी जाति।
4. संयुक्त निदेशक आई.टी को उपरोक्त परिपत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
5. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

# राजस्थान सरकार
## वित्त विभाग
## (आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक प.7(4)वित्त–1(1)आ.व्य./2021 जयपुर, दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

### परिपत्र

**विषयः– बजट प्रावधान/अनुपूरक अनुदान स्वीकृत कराने में सतर्कता रखने एवं वित्तीय वर्ष में उसका उपयोग करने एवं बचतों को समय पर समर्पित किये जाने के संबंध में।**

इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2013 दिनांक 08.04.2013 (संख्या 5/2013), प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 (संख्या 8/2014) दिनांक 25.08.2014, प.7(9)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 (संख्या 7/2015) दिनांक 20.04.2015 प.7(8)वित्त–1(1)आ.व्य./2015 (संख्या 5/2016) दिनांक 25.04.2016 एवं प.7(5)वित्त–1(1)आ.व्य./2017 (संख्या 9/2017) दिनांक 19.12.2017 द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही राशि व्यय करें एवं अतिरेक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2019–20 में भी उल्लेख किया गया है कि कतिपय विभागों द्वारा बजट मैन्युअल के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है यथा–कतिपय विभागों द्वारा अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान स्वीकृत करवाया गया क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से भी कम रहा, अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग स्वीकृत करवाये गये किन्तु वे अपर्याप्त/अत्यधिक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुए, स्वीकृत कराये गये बजट से अत्यधिक राशि बचत रही एवं बचतों को समय पर समर्पित नहीं किया गया एवं व्यय का प्रवाह वर्ष पर्यन्त समान रूप से रखने की बजाय वर्ष की अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय किया गया है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि:–

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अनावश्यक एवं अत्यधिक अनुपूरक मांग स्वीकृत नहीं करवायें।
(ii) स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की सुदृढ़ व्यवस्था करें।
(iii) अनावश्यक बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं करवायें जिससे बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो एवं बचतों को समय पर समर्पित किया जावे।
(iv) अनावश्यक पुनर्विनियोजन नहीं करवाया जावे।
(v) वर्ष के दौरान व्यय का प्रवाह समान रूप से रखने का प्रयास किया जावे।

इस संबंध में कृपया बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

Room No. 5124, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005
Phone No. 0141-2227791 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - dsfbudget@rajasthan.gov.in